न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी :टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 01/2024

अपीलांट–	***बनाम***	**रेस्पोडेंट–**
1. मगाराम पुत्र ठाकराराम 2. लाधुराम पुत्र ठाकराराम जाति विश्नोई निवासी काकड़ो की ढाणी, चैनपुरा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर		तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 61 दिनांक 22.06.2020 जो तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रर्फोमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 13.01.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा ग्राम काकड़ो की ढाणी पटवार हल्का चैनपुरा के खसरा नंबर 3/2, 3/1 क्रमशः रकबा 23–17, 9–00 बीघा किस्म बा0 सो0 में से क्रमशः 00–12 व 01–08 बीघा भूमि के समर्पण स्वीकृति आदेश दिनांक 22.06.2020 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा ग्राम काकड़ो की ढाणी पटवार हल्का चैनपुरा के खसरा नंबर 3/2, 3/1 क्रमशः रकबा 23–17, 9–00 बीघा भू[illegible] पिता ठाकराराम कौम विश्नोई साकिन काकड़ो की ढाणी, चै[illegible] धोरीमन्ना जिला बाड़मेर ने दिनांक 22.06.2020 [illegible] के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 00–12 व 01–08 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अ[illegible] को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त स[illegible] करते हुए कब्जा [illegible] का

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:34:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निवेदन किया तथा प्रकट किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवाने का आदेश फरमावें। उक्त खातेदारान की पहचान हल्का पटवारी चैनपुरा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि जिन्होंने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि में से 00–12 व 01–08 बीघा भूमि समर्पण का निवेदन किया है। उक्त भूमि खातेदारान के नाम दर्ज है एवं किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं हैं तथा कोई वाद विचाराधीन नहीं है। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पहचान श्री नरपत सोनी भू.अ. निरीक्षक अरणियाली द्वारा ,हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकार की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 61 दिनांक 22.06.2020 पारित किया गया। अपीलांट्‌ा ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.01.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट की संयुक्त खातेदारी का खेत ग्राम काकड़ो की ढाणी पटवार हल्का चैनपुरा के खसरा नंबर 3/2, 3/1 क्रमशः रकबा 23–17, 9–00 बीघा आया हुआ है। जिसमें काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। कुछ लोगो ने अपीलांट के हस्ताक्षर खाली कागजों पर करवाकर अपीलांट को बताया कि आपके खेत खसरा संख्या 3/1 मे श्मशान घाट के रूप में लगभग 1–08 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण कर शमशान घाट के रूप में दर्ज होने पर उसमें विकास होगा और चारदीवारी बनेगी तब धर्म का काम होने से अपीलांट ने गांव के कुछ चलते लोगों पर भरोसा कर उनके कहे अनुसार हस्ताक्षर कर दिया परन्तु इन लोगों ने कागज तैयार करते समय बिना आवश्यकता तथा बिना [illegible] खसरा नंबर 3/1 के साथ 3/2 में 0–12 बीघा बिना [illegible] करवा दिया जबकि इस समर्पण से बन रहे कट[illegible] से कोई भी [illegible] नहीं जुड़ा है तथा बिना स्वतंत्र सहमति धोखाधडी से समर्पण कर[illegible] गया है लिहाजा अपीलाधीन आदेश अवैधानिक होने से उक्त आदेश खारिज फरमाने योग्य है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:34:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश खारिज फरमाया जावे।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कुछ दिन पूर्व उक्त आलोच्य सम्पूर्णनाम का नामान्तरकरण संख्या 221 जो तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा दिनांक 27.09.2023 को स्वीकृत करने के बाद खसरा नंबर 3/2 में जब रास्ता अंकित हुआ तथा नवसृजित खसरा नंबर 251/3 के रूप में राजस्व रेकर्ड में कायम हो गया तब अपीलांट ने जब जमाबंदी ली तो जमाबंदी में रास्ता देखकर हल्का पटवारी ने बताया कि दो माह पूर्व आपके तीन वर्ष पुराने समर्पण मे शमशान घाट व रास्ते का नामान्तरकरण हुआ है। जिस पर अपीलांट को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे। इस पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जाकर उक्त अपीलाधीन आदेश की नकलें प्राप्त की जो उन्हें दिनांक 22.12.2023 को प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील अन्दर मयाद दर्ज करने का निवेदन किया गया है।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा ग्राम काकड़ो की ढाणी पटवार हल्का चैनपुरा के खसरा नंबर 3/2, 3/1 क्रमशः रकबा 23–17, 9–00 बीघा भूमि के खातेदारान लाधू मगा पिता ठाकराराम कौम विश्नोई साकिन काकड़ो की ढाणी, चैनपुरा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर ने दिनांक 22.06.2020 को तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 00–12 व 01–08 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया तथा प्रकट किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवाने का आदेश फरमावें। उक्त खातेदारान की पहचान हल्का पटवारी चैनपुरा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि जिन्होंने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि में से 00–12 व 01–08 बीघा भूमि समर्पण का निवेदन [illegible] उक्त भूमि खातेदारान के नाम दर्ज है एवं किसी [illegible] हैं तथा कोई वाद विचाराधीन नहीं है। इस [illegible] न्ना द्वारा पहचान श्री नरपत सोनी भू.अ. निरीक्षक अरणियाली द्वारा, हल्[illegible] पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकार की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:34:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 61 दिनांक 22.06.2020 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.01.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि अपीलांट्स की संयुक्त खातेदारी का खेत ग्राम काकड़ो की ढाणी पटवार हल्का चैनपुरा के खसरा नंबर 3/2, 3/1 क्रमशः रकबा 23–17, 9–00 बीघा आया हुआ है। उतरदाता ने अपीलांट्स को बिना जानकारी के ही उक्त भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करने हेतु आवेदन तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष पेश किया। उक्त समर्पण पत्र पर अपीलांट्स के छल पुर्वक हस्ताक्षर किये गये जिस संबंध में अपीलांट्स को किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई न ही अपीलांट्स के खातेदारी के खेत मे बिना आवश्यकता के बेवजह रास्ता निकलना अनुचित व अवैध है तथा अपीलांट्स भी रास्ता देने में सहमत है परन्तु उतरदाता द्वारा बिना अपीलांट्स को पुछे मनमर्जी से छल पूर्वक हस्ताक्षर कर गलत खसरे मे गलत जगह तरमीम कर अपीलांट्स के कब्जा काश्त के खेत मे बेवजह रास्ता निकालना अनुचित व अवैध है। जिस कारण उक्त समर्पण को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि अपीलांट्स को सुनवाई अवसर दिये बिना ही उसके हितों पर कुठारघात करते हुए उसके उक्त समर्पण पारित किया गया जो अपास्त करने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख एवं पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि मौजा ग्राम काकड़ो की ढाणी पटवार हल्का चैनपुरा के खसरा नंबर 3/2, 3/1 क्रमशः रकबा 23–17, 9–00 बीघा भूमि के समर्पण भूमि 00–12 व 01–08 बीघा हेतु पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी चैनपुरा द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि भूमि खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज हैं, मौके पर खाली है, उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं एवं न ही कोई वाद विचाराधीन है, किसी भी प्रकार से विवादग्रस्त नहीं हैं। उक्त भूमि पर लगान बकाया नहीं हैं। उक्त भूमि में रहन दर्ज हैं तथा आने–जाने हेतु रास्ता हेतु है। अतः इस भूमि को समर्पण हेतु स्वीकार किया जाना उचित हैं। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं खातेदार की स्वतंत्र सहमति के आधार पर प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2020 पारित किया गया। यदि अपीलांट इस कार्यवाही में अपने साथ किसी प्रकार का छल एवं धोखाधड़ी होना मानता हैं तो इसके लिये उसे पृथक आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाते हुए चाराजोही करनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:34:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन कार्यवाही में किसी प्रकार की अवैधता नहीं होने से अपीलांट्स की यह अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:34:52 IST
Reason: SelfAttested